

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 07/2022

बउनवान

हरिमोहन आयु 47 वर्ष पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीणा निवासी राजपुरा तहसील बारां  
जिला-बारां (राज०)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार बारां, जिला बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी, अभिभाषक

(अपीलांट)

2. परोकार सरकार

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक 19.04.2023

अपीलांट की ओर से जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 22.02.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे राजपुरा, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 397 रकबा 0.16 है. किस्म चारागाह पर अतिकमी मानकर 88/-रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को बिना सुनवायी जवाब देही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एकतरफा उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है तथा अपीलांट की ओर कोई सरकारी ताबान बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2022 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिये बगैर मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर एकतरफा कार्यवाही की गई है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2022 निरस्त करने की इस्तदुआ की।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का



नम्बर व  
जो इस  
तामील में

जिला कलक्टर  
बारां (राज०)

समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अतिक्रमी अपीलांट को व्यक्तिगत तामील नहीं करवायी गयी तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा ग्राम राजपुरा की आराजी खसरा नंबर 397 रकबा 0.16 है. किस्म चारागाह पर सरसों बोकुर अतिक्रमण किया जाना पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 27.01.2022 से साबित होता है। परन्तु पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में पत्रावली में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना हम उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 529/22 में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2022 से दी गई सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)  
जिला कलेक्टर,  
बारां (राज.)